पत्र सं०–05 / पी०–173 / 2022– 49(5)वि / स्वा०,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेशक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 28.10.2026

विशयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची में जलापूर्ति कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु पम्प चालकों का वार्षिक भुगतान की योजना के लिए कुल 4,96,968 / –(चार लाख छियानबे हजार नौ सौ अड़सठ) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–35(5)यो० दिनांक–23.10.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची में जलापूर्ति कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु पम्प चालकों का वार्षिक भुगतान की योजना के लिए कुल 4,96,968 / –(चार लाख छियानबे हजार नौ सौ अड़सठ) रुपए मात्र आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3. व्यय का विकलन राज्य स्कीम बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01 जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्रों / संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस–4210–01–796–48–01–05–45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

4. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त योजना के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा ई–निविदा / खुली निविदा के माध्यम से नियमानुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

5. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक प्रमण्डल, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष–8782, स्थानीय जमा निधि–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. प्रत्येक असैनिक एवं अभियन्त्रण मरम्मति कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रुप में रखा जाएगा।

8. अधीक्षक, इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची भी मरम्मति कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा नियमित रुप से उपायुक्त, राँची को प्रतिवेदित करेंगे।

9. यह कार्य एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अंदर तक पर्यवेक्षकीय अभियन्ता द्वारा नियमित रुप से पूर्ण कराया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन डोरण्डा, कोषागार, राँची से की जाएगी।

11. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्त्तो पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्त्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्त्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. योजना के कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– 49(S)व, राँची, दिनांकः– 28.10.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची
2. अधीक्षक, इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची।
3. सिविल सर्जन, राँची।
4. कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक प्रमण्डल, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

49(S)व
28.10.2026

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5-P-173/2022/49(5)B

दिनांक - 28-Oct-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100179648010545	80588	DRNMED021	496,968.00
	4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय		ANAND KUMAR SINHA	रुपये चार लाख छयानवे हजार नौ सौ अडसठ
	01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं		UNDER SECRETARY	
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण			
	01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित			
	05 - निर्माण		45 - निर्माण कार्य	
	State Scheme			
	State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT			
	Centeral Scheme : LEVEL(1691)			

योग: 496,968.00

क्रमिक योग: रुपये चार लाख छयानवे हजार नौ सौ अडसठ

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 28/10/2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100179648010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNMED021	Anand Kumar Sinha	Under Secretary	₹4,96,968.00 (80588)	₹4,96,968.00

कुल आवंटित राशि :- ₹4,96,968.00 (चार लाख छयानवे हजार नौ सौ अडसठ) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY